87

कोर्ट फी COURT FEE 20रु. Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक : /2018 निगरानी II/निगरानी/सीधी/भू.रा/2018/2153

श्री ... श्रीवास्तव अभि. द्वारा आज 3-4-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 10-4-18।

वाचक ... राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

1. शिवराज सिह पुत्र रघुराज सिंह
2. मंगल सिह पुत्र रघुराज सिह
3. श्रीमती अमृता सिंह पत्नी कंधर सिंह
4. दान बहादुर सिंह पुत्र कंधर सिंह
5. धर्मपाल सिह पुत्र कंधर सिंह
6. बाबूलाल सिह पुत्र रघुराज सिंह
7. श्रीमती मुगधू सिह पत्नी कमलेश्वर सिंह
8. हरिनिवास सिह पुत्र कमलेश्वर सिंह
9. सुखेन्द्र सिह पुत्र रघुराज सिह
10. यशंवत सिह पुत्र रघुराज सिंह सभी निवासीगण – ग्राम हटवा, तहसील बहरी, जिला सीधी म0प्र0

.... निगरानीकर्तागण

बनाम

1. श्रीमती आभा पाण्डेय पुत्री शकुन्तला पाण्डेय एवं तुलसी पाण्डेय एवं पत्नी राजू तिवारी निवासी ग्राम चंदवाही, थाना बहरी, तहसील बहरी जिला सीधी म0प्र0
2. सुमित पाण्डेय तनय तुलसी प्रसाद पाण्डेय एवं श्रीमती शकुन्तला पाण्डेय निवासी – ग्राम गोड़ाही, थाना बहरी तहसील बहरी, जिला सीधी म0प्र0
3. संदीप पाण्डेय तय श्रीमती शकुन्तला पाण्डेय एवं तुलसी प्रसाद पाण्डेय

निवासी ग्राम गोड़ाही, थाना बहरी,
तहसील बहरी जिला सीधी म.प्र.
..... रेस्पोडेन्टस

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 विरूद्व आदेश दिनांक 21.02.2018 पारित न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी सिहावल तहसील बहरी जिला सीधी म. प्र. के प्रकरण कमांक 90/अपील /2017–18 श्रीमती आभा पाण्डेय व अन्य बनाम शिवराज सिह व अन्य से व्यथित होकर।

माननीय न्यायालय,

निगरानीकर्तागण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

संक्षिप्त तथ्य :–

1. यह कि वाके ग्राम गोडाही तहसील बहरी स्थित सर्वे कमाक 41,42, 43, 45, 49,76, 80, 86, 88, 91,92,100 कुल किता 12 कुल रकवा 21.80 एकड़ के हम आवेदकगण के पिता व पूर्वज भूमि स्वामी एव आधिपत्यधारी थें यह हमारी पुश्तैनी भूमियां है।
2. यह कि, अनोवदकगण द्वारा उक्त भूमियों के संबंध मे साजिश पूर्वक एक फर्जी दानपत्र एवं विकीपत्र तैयार किया जिसके आधार पर सिविल न्यायालय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 सीधी के न्यायालय मे भूमि स्वामी घोषित किये जाने हेतु एक दावा दायर किया। जिसमे हम सभी को पक्षकार बनाया गया तथा माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 11.5.2000 को सिविल न्यायालय द्वारा अनावेदकगण का दावा स्वीकार कर लिया गया।
3. यह कि, जिसकी अपील हम आवेदकगण द्वारा माननीय प्रथम अपर जिला न्यायाधीश सीधी के समक्ष प्रस्तुत की जो प्रथम अपील कमाक 32ए/2002 पर दर्ज होकर दिनाक 9.10.2002 को अपील स्वीकार की जाकर अनावेदकगण का दावा निरस्त कर दिया ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक दो–निगरानी/सीधी/भू.रा./2018/2153

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6/4/18	निगरानी की ग्राह्यता एंव प्रचलनशीलता पर आवेदक के अभिभाषक एंव केबिएटकर्ता के अभिभाषक को पूर्व पेशी पर सुना जा चुका है। यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी सिहावल जिला सीधी के प्रकरण कमांक 90/2017–18 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 21–2–2018 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि तहसीलदार चुरहट के प्रकरण कमांक 11 अ–6/17–18 में पारित आदेश दिनांक 30–12–17 के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील कमांक 90/2017–18 प्रस्तुत की गई, जिसमें इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गई थी कि तहसीलदार चुरहट ने द्वित्तीय अपर न्यायाधीश सीधी के निर्णय एंव डिक्री दिनांक 7–10–2002 के पालन में आदेश दिनांक 30–12–17 से वादित भूमियों पर नामान्तरण किया है इसलिये अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील प्रचलनशील नहीं है। अनुविभागीय अधिकारी सिंहावल ने प्रकरण अंतरिम आदेश दिनांक 21–2–18 से उक्त आपत्ति आवेदन पर आदेश हेतु नियत कर दिया। अनुविभागीय अधिकारी के इसी अंतरिम आदेश के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 3/ दोनों पक्षों के अभिभाषकों के तर्को के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि मा.द्वित्तीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 सीध के निर्णय दिनांक 11–5–2000 पर से आवेदकगण ने प्रथम अपर जिला न्यायाधीश सीधी के द्वित्तीय अति. न्यायाधीश सीधी के समक्ष अपील कमांक 32 ए/2002 प्रस्तुत की है जिसमें पारित आदेश दिनांक 9–10–2002 से मा.	

द्वित्तीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 सीधी का आदेश दिनांक 11–5–2000 निरस्त हुआ है । तदपुरांत माननीय उच्च न्यायालय में द्वित्तीय अपील कमांक 743 / 2002 प्रस्तुत हुई है। किन्तु विचाराधीन मामला तहसीलदार चुरहट के प्रकरण कमांक 11 अ–6 / 17–18 में पारित आदेश दिनांक 30–12–17 के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील की प्रचलनशीलता का है प्रकरण के अवलोकन से यह भी ध्यान में आया है कि आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण कमांक 90 / 2017–18 अपील को अन्यत्र न्यायालय में हस्तांतरित किये जाने हेतु आवेदन अपर कलेक्टर सीधी के यहां प्रस्तुत किया था। अपर कलेक्टर सीधी ने प्रकरण कमांक 111 अ–74 / 17–18 में पारित आदेश दिनांक 31–3–2018 से आवेदकगण का आवेदन अमान्य किया है। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रकरण चलने योग्य है अथवा नहीं ? इस पर अनुविभागीय अधिकारी ने किसी प्रकार का निर्णय नहीं दिया है अपितु निर्णय हेतु प्रकरण नियत किया है जिसके विरूद्व आवेदकगण यह निगरानी प्रस्तुत कर रहे है। अनुविभागीय अधिकारी व्दारा आदेश हेतु प्रकरण नियत करने से आवेदकगण को किसी प्रकार की क्षति हुई है, आवेदकगण के अभिभाषक समाधान कराने में सफल नहीं हुये हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदकगण जानबूझकर प्रकरण का निराकरण होने देना नहीं चाहते हैं जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को विभिन्न न्यायालयों में उल्झाये रखना चाहते हैं। विचाराधीन निगरानी सारहीन होने से इसी–स्तर पर अमान्य की जाती है।

सदस्य